DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- हिन्दुस्तान ----------DATED-- 02/08/2022

धार्मिक आयोजनों की बुकिंग राशि आधी हुई

फैसला

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने विरोध के बाद रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक आयोजन का बुकिंग शुल्क दस लाख से घटाकर पांच लाख कर दिया है। हालांकि तमाम समितियों ने इसे भी नाकाफी बताते हुए विरोध जताया है। पुराने आदेश के अनुसार, आयोजनकर्ताओं को दस लाख रुपये की राशि बतौर सिक्योरिटी देना अनिवार्य था। डीडीए ने इसे लेकर सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए।

डीडीए ने नए दिशा निर्देश में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आदेश का हवाला देते हुए आयोजन स्थल पर खाना बनाने पर रोक लगाने के साथ ही, नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने की बात कही है। दरअसल, डीपीसीसी ने 13 दिसंबर 2019 को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि रामलीला जैसे खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले किसी भी समारोह में अनिवार्य रूप से एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना अनिवार्य है। इससे उन आयोजन स्थल पर पकाए जाने वाले भोजन और तरल अपशिष्ट आदि का निपटारा किया जा सके।

डीडीए के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक, इस बार रामलीला, दुर्गापूजा जैसे धार्मिक आयोजनों के लिए शुल्क नहीं रखा है। हालांकि, धरोहर राशि के तौर पर 15 दिनों के लिए मैदान बुकिंग करने पर 24 रुपये प्रति वर्गमीटर और 30 दिनों की बुकिंग पर 60 रुपये प्रति वर्गमीटर के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क आयोजन खत्म होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, इस बार आयोजन के दौरान खाना पकाने या स्टाल पर बर्तन धोने की अनुमति नहीं होगी।

डीडीए ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा

आयोजन स्थल पर ईटीपी स्थापित करने की जिम्मेदारी जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले विभाग की है। डीडीए ने अभी तक अपने किसी मैदान में यह संयंत्र नहीं लगाया है। एनजीटी की सख्ती से बचने के लिए डीडीए ने ईटीपी लगाने का जिम्मा आयोजकों को दे दिया है। आयोजकों का भी यही आरोप है कि ईटीपी प्लांट लगाना डीडीए का काम था। अब हम पर ही पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही जा रही है।

आंदोलन पर अडिग

श्रीरामलीला महासंघ दिल्ली के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि दिल्ली के अंदर खुले मैदानों में शादियां होती हैं, तब ईटीपी प्लांट नहीं लगता है। अभी कांवड़ शिविर लगे थे, सब में खाना बना था। किसी में भी ईटीपी प्लांट नहीं लगा। फिर रामलीला मंचन पर ही यह शर्त क्यों ? गली-मोहल्लों की रामलीला का पांच लाख का बजट भी नहीं होता है। हम डीडीए के इस निर्णय का विरोध करते हैं। सात अगस्त को सारी समितियों की बैठक होगी। उसमें धरने-प्रदर्शन की रणनीति तय होगी। कोई भी कमेटी एक रुपया जमा नहीं करेगी।

जमीन उपयोग बदलने पर सख्ती

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। एम्स के पास पार्क की जमीन का भूउपयोग बदले जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने सोमवार को डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायालय ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है। जिसमें एम्स के पास अंसारी नगर में पार्क की जमीन के भूउपयोग बदलने के लिए मास्टर प्लान 2021 में प्रस्तावित संशोधन को रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने एलजी, पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी को 24 नवंबर, 2022 से पहले पक्ष रखने का आदेश दिया है। याचिका गैर सरकारी संगठन सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, हेरिटेज, एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल अवेयरनेस ने दाखिल की थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

तंत्र बदलते ही राजधानी में बदहाल हो रही सफाई व्यवस्था

जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर, कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई

जागरण पड़ताल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना नगर निगम की छवि सुधारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लापरवाह निगम कर्मियों और अधिकारियों के चलते उपराज्यपाल के प्रयासों पर बट्टा लग रहा है। राजधानी में कई स्थान गंदगी के हाटस्पाट में तब्दील हो गए हैं। लोगों की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे नगर निगम का स्वच्छता अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। लोगों की शिकायत है कि पहले पार्षद थे, तो उनसे शिकायत पर समस्या का समाधान हो जाता था, लेकिन नए तंत्र में पार्षदों की भूमिका नहीं है। ऐसे में व्यवस्था और बदहाल हो रही है। दैनिक जागरण की टीम ने राजधानी के कई स्थानों की पड़ताल की, जिसमें निगम के स्वच्छता अभियान की पोल खुल गई।

ढिलाई पर होती है कार्रवाई : नगर निगम के प्रवक्ता के अनुसार 12 जोन में प्राथमिक और द्वितीय संग्रहण स्थानों से कूड़ा और ठोस अपशिष्ट संकलन व परिवहन का कार्य निजी एजेंसियों को सौंपा गया है। मुख्य सड़कों, गलियों और सर्विस लेन आदि की सफाई निगम के विभागीय कर्मचारियों की ओर से की जाती है। प्रत्येक वार्ड में क्षेत्रीय अधिकारियों और नोडल अधिकारियों की ओर से नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। अगर कोई ढिलाई संज्ञान में आती है, तो सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसके लिए संकलन और परिवहन में लापरवाही पर जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। मुख्य सड़कों पर सफाई के लिए 51 मेकेनिकल स्वीपर भी तैनात किए गए हैं।

रोहिणी सेक्टर-27 के पास पड़ा कूड़ा • जागरण

कई दिनों से नहीं हुई सफाई

उत्तरी और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में भी गंदगी मिली। रोहिणी सेक्टर-27 का मुख्य मार्ग हो या फिर मंगोलपुरी क्षेत्र के पार्क, हर तरफ कूड़े का अंबार लगा है। यहां पर कई दिनों से सफाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़े उठाने वाली गाड़ी नहीं आती और डलावघर में कूड़ा जमा रहता है। मंगोलपुरी के वाई-ब्लाक के मोहल्ला क्लीनिक के आसपास फैला कचरा लोगों की परेशानी का सबब बना है। ववाना जेजे कालोनी के कई खाली प्लाटों में गंदगी का ढेर मौजूद है।

उत्तम नगर में डीडीए रोड पर कूड़े का ढेर • जागरण

उत्तम नगर में सर्विस लेन पर कचरा

पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर डीडीए रोड, हस्तसाल, बसई दारापुर हास्टल के पास, विकासपुरी ड्रेन रोड, पंखा रोड सर्विस लेन व मटियाला रोड के आसपास कूड़ा जमा मिला। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि निगम के 311 एप पर लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

ओखला फेज-2 में लगा कूड़े का ढेर • जागरण

नांगलोई में कचरे के ढेर के पास से गुजरते हैं स्कूली बच्चे

नागलोई के स्वर्ण पार्क इलाके में गंदगी और कीचड़ की वजह से लोग परेशान हैं, तो कझावला एक्सटेंशन में भी स्वच्छता की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रहलादपुर बांगर गांव की मुख्य सड़क और जैन कालोनी की ओर जाने वाले मार्ग पर नालियों की गंदगी और कचरे का ढेर स्कूली बच्चों को परेशान कर रहा है। ओखला फेज-2 में भी कचरा फैला दिखा।

कृष्णा नगर लाल क्वार्टर के पास फैला कूड़ा • जागरण

पूर्वी दिल्ली में पार्कों और खाली प्लाटों में डाला जा रहा है कूड़ा

पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर लाल क्वार्टर, शास्त्री पार्क, विश्वास नगर, घड़ोली, मंडावली, चंदर विहार, जोशी कालोनी के पार्कों और खाली सरकारी प्लाटों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इन ढेरों के पास पशुओं को घूमते देखा जा सकता है।

मीरदर्द रोड पर फैला कचरा • जागरण

मध्य दिल्ली में सड़क पर फैला कचरा, बदबू से लोग परेशान

मध्य दिल्ली के मीरदर्द रोड, बीडनपुरा, रैगरपुरा, पंजाबी बस्ती और दक्षिणी दिल्ली के ओखला जैसे इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहां फैली गंदगी और उठती बदबू से आसपास के घरों के लोग परेशान रहते हैं।

कहने को वार्ड में स्वच्छता के लिए नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं, लेकिन उसका प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। ऐसे में लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसके वार्ड का नोडल अधिकारी कौन है। सफाई से लेकर फागिंग आदि जैसे कार्यों के लिए कहां जाएं, लोगों को नहीं पता। ऐसे में पूर्व पार्षदों के पास लोग जा रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि अधिकारी और कर्मचारी उनकी नहीं सुन रहे हैं।

- विकास गोयल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम

कोई काम नहीं हो रहा है। सफाई को लेकर स्थानीय कर्मचारियों और अधिकारियों को लगातार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई बार तो स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी फोन ही नहीं उठा हैं।

- सीमा ताहिरा, पूर्व पार्षद, सीताराम बाजार

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, AUGUST 2, 2022

NAME OF NEWSPAPERS--- --------DATED---------------------

Land-use change of park near AIIMS: HC seeks DDA stand

Times News Network

New Delhi: Delhi High Court on Monday sought the stand of Delhi Development Authority (DDA) and others on a public interest litigation (PIL) challenging the proposed amendment to the master plan 2021 to change land use from an existing park near All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) to concrete structures.

The court asked DDA, the lieutenant governor and the Union environment ministry to respond, posting the matter for a detailed hearing in November.

The court asked DDA, the LG and the Union environment ministry to respond, posting the matter for hearing in November

The petitioner, Society for Protection of Culture, Heritage, Environment, Tradition and Promotion of National Awareness, through Advocates Vikas Kakkar and Amit Dubey, called the park a respite for the patients' relatives, residents, commuters, and people who visit the area. "The trees' canopy not only captures dust particles but also acts as a filter for noise pollution, cost-free natural air conditioner, effective smog towers and, on top of it, maintains the ecological balance."

Surrounding AIIMS, several redevelopment colonies are coming up and entire traffic of all these colonies will lead to the Ring Road, which is clogged at any point of time during the day, the petition stated. The area is busiest in its traffic volume from Gurgaon to Noida and Ghaziabad, and thus, continues to be the most polluted area in Delhi, the plea stated. It alleged that despite knowing about the paucity of green areas, agencies were continuously allowing development of commercial properties and changing land use of parks developed in accordance with earlier master plans.

Ramlila committees to provide bank guarantee of ₹5 lakh, clarifies DDA

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) on Monday clarified that instead of Rs 10 lakh to be deposited as 'refundable' penalty for violation of a Delhi Pollution Control Committee (DPCC) circular, Ramlila committees and Durga Puja samitis will have to provide a 'nominal' bank guarantee of Rs 5 lakh. The committees said that they would protest the penalty charges.

In a statement on Monday, DDA said that in a circular on December 13, 2019, DPCC had mandated the installation of Effluent Treatment Plant (ETP) while holding any functions in open spaces such as Ramlila, Durga Puja, etc. involving cooking of food and disposal of liquid waste, etc. A violation of this direction can result in a penalty of at least Rs 5 lakh per day, which can go up to Rs 50 lakh per day, as per a February 4, 2021 order of the National Green Tribunal.

50
LAKH: MAX PENALTY FOR VIOLATION

The authority said that its open spaces are available for 'religious-recreational functions' with no charges, subject to a refundable security deposit ranging from Rs 24 per sqm to Rs 60 sqm and there is no enhancement of booking charges.

DDA said that violation of the DPCC direction will result in a penalty of Rs 5 lakh, which has to be deposited in the form of a bank guarantee at the time of booking and will be refunded along with the security deposit.

"The aforesaid clarifications dated July 25, 2022 are temporary in nature and are on account of DPCC order," DDA said in the statement.

Arjun Kumar, president of Shri Ramlila Mahasangh, said that Ramlila committees have decided not to deposit any amount and would decide the next course of action, which could include protests, in a meeting on Sunday.

"It is not possible for any Puja samiti to provide bank guarantee of Rs 5 lakh," said Mrinal Kanti Biswas of the Purbanchal Bangiyo Samiti, an umbrella organisation of puja samitis in east Delhi. Biswas said that even if food stalls are not allowed, cooking the bhog offered to the Goddess is part of the religious rituals and has to be followed.

DDA facing cash deficit of ₹9,600cr, RS told

Dipak.Dash@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi Development Authority (DDA) has a cash deficit of over Rs 9,600 crore till March 2022 and mainly due to huge unsold inventory of flats, the housing and urban affairs ministry informed the Rajya Sabha on Monday.

The revelation comes barely weeks after Delhi Lt Governor V K Saxena tweeted that while the DDA is owner of one of costliest and largest chunk of real estate in the world, "mismanagement" has led to its liabilities exceeding Rs 10,000 crore.

In a written response to a question from AAP lawmaker Narain Dass Gupta, the housing and urban affairs ministry said, "The DDA has a cash deficit of Rs 9,615 crore as on March 31, 2022 which has been financed through borrowings from Nazul account. The deficit started from the Financial Year 2016-17 and it is mainly due to unsold housing inventory worth approximately Rs 18,000 crore."

Responding to a question on the reasons for flats remaining unsold, the ministry cited several factors, including location of the flats in remote areas mainly in Narela and cost of flats being on higher side. It said that Metro rail connectivity is not available in the area and the size of the flats are small. DDA has undertaken remedial measures like improvement of transport infrastructure, it added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ Hindustan Times ED-- 02/08/2022

'DDA has unsold houses worth ₹18k cr'

Risha Chitlangia
rishi.chitlangia@htlive.com

NEW DELHI: Unsold housing inventory worth some ₹18,000 crore is primarily responsible for a cash deficit of ₹9,615 crore at the Delhi Development Authority, the state-owned builder of affordable homes in the national capital, junior housing and urban affairs minister Kaushal Kishore told the Rajya Sabha on Monday.

"Delhi Development Authority has a cash deficit of ₹ 9,615 crore as on 31.03.2022 which has been financed through borrowings from Nazul Account. The deficit started from the Financial Year 2016-17 and it is mainly due to unsold housing inventory worth ₹ 18,000 crore approximately," Kishore said in a written response to a question by Aam Aadmi Party member Narain Dass Gupta.

The housing stock is lying unsold since 2014 as the small flats located mainly in Narela in north Delhi are deemed to be too costly and lack Metro connectivity, he said.

The DDA has taken various measures to sell these flats, Kishore said.

"In order to improve saleability of these flats, DDA has undertaken various remedial measures including improvement of transport infrastructure, construction of Urban Extension Road –II (UER-II), permitting amalgamation of flats, allotment on first come first serve basis and some concession to the purchasers," he said.

Last month, Delhi lieutenant governor VK Saxena sought suggestions from the public to make the DDA "viable", arguing that the landowning agency has liabilities of over ₹10,000 crore due to "mismanagement".

"While DDA are owners of one of costliest & largest chunk of real estate in the world, mismanagement has led to its liabilities exceeding ₹10k Cr. Let's resolve to make DDA viable. Your suggestions & participation will make it happen. #ForABetterDelhi," Saxena tweeted last month.

Saxena, who is also chairman of the DDA, shared data in his tweet, showing that the developer has accumulated loan liabilities of ₹8,915 crore in the past five years between 2016-17 and 2021-22. It had a cash deficit of ₹3,209.14 crore, the tweet said.

The DDA put on sale 56,932 flats since 2014, Kishore has said in a written reply to a question in the Rajya Sabha in December last year.

"About 15,500 flats have been returned/surrendered and have remained unsold so far," he had said. "79% of total surrendered (returned) flats are located in newly developed Narela subcity."

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

रामलीला और दुर्गा पूजा समारोह में ईटीपी लगाना अनिवार्य : डीपीसीसी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : रामलीला, दुर्गापूजा जैसे किसी भी ऐसे समारोह, जिसमें खाना बनाने और द्रव्य अपशिष्ट का निपटान शामिल हो, के लिए इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (इटीपी) लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने सोमवार को एक आदेश में इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर रोजाना की जुर्माना राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का निर्देश भी दिया है। डीपीसीसी के इसी आदेश के मद्देनजर धार्मिक एवं मनोरंजक समारोह जैसे रामलीला, दुर्गा पूजा आदि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खुले स्थान 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर (15 दिनों तक की बुकिंग के लिए) और 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर (30 दिनों से अधिक की बुकिंग के लिए)

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नियम का उल्लंघन करने पर रोजाना 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का दिया निर्देश

सुरक्षा जमा राशि के साथ बुक कराए जा सकते हैं। यह सुरक्षा राशि बाद में लौटा दी जाएगी।

डीपीसीसी के निदेशों को लागू करने के लिए डीडीए ने कुछ निर्देश दिए हैं, जिसमें स्टाल में खाना बनाने व बर्तन धोने की अनुमति नहीं होगी। आवेदक को संलग्न प्रपत्र में यह शपथ पत्र अपलोड करना होगा कि डीपीसीसी के 13 दिसंबर, 2019 के निदेशों का अनुपालन किया जाएगा। यदि आवेदक डीपीसीसी के उस निर्देशों का उल्लंघन करता है तो आवेदक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

लैंड यूज में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब

जासं, नई दिल्ली : एम्स के पास स्थित पार्क के लैंड यूज में बदलाव के लिए मास्टर प्लान-2021 में प्रस्तावित संशोधन को रद करने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए समेत अन्य से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीडीए के साथ ही उपराज्यपाल कार्यालय व पर्यावरण और वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता सोसाइटी फार प्रोटेक्शन आफ कल्चर ने अधिवक्ता विकास कक्कड़ व अमित दुबे के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि पार्क तीमारदारों, आसपास रहने वालों, यात्रियों के लिए राहत है। साथ ही आसपास के पर्यावरण के लिहाज भी पार्क के लैंड-यूज में बदलाव उचित नहीं है। याची ने कहा कि लैंड यूज में बदलाव कर पार्क में बदलाव किया जा रहा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

2/8/2022

amarujala E OF NEWSPAPERS

मैदानों की बुकिंग की शर्तों से डीडीए ने झाड़ा पल्ला

नई दिल्ली। डीडीए ने धार्मिक आयोजनों के अपने मैदानों की बुकिंग के दौरान संस्थाओं से ली जाने वाली सिक्योरिटी राशि बढ़ाने के पीछे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आदेश का हवाला दिया है। डीडीए ने स्पष्ट किया है कि जमानत राशि वापस लौटा दी जाती है। इस कारण धार्मिक आयोजन करने वाली संस्थाओं पर कोई भार नहीं पड़ेगा। डीडीए का कहना है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 13 दिसंबर 2019 को खुले स्थानों में रामलीला, दुर्गा पूजा जैसे आयोजन करने पर कचरा निपटान के लिए संयंत्र लगाने के आदेश दिए थे। इसके अलावा आयोजन स्थल पर भोजन पकाने पर भी प्रतिबंध लगाया था। इस संबंध में गत 29 जुलाई को समिति ने अपने आदेश को कायम रखते हुए उसे हर हाल में लागू करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने चार फरवरी 2021 को जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था। ब्यूरो

दैनिक भास्कर

लेबर कार्ड बनवाने के लिए 17 लाख से अधिक आवेदन

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में बोर्ड के पास लेबर कार्ड बनवाने के लिए 17 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। ऐसे में पात्र लोगों को ही इसका फायदा मिले ये सुनिश्चित करने के लिए श्रम मंत्री ने अधिकारियों को एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सोशल ऑडिट करवाने का निर्देश दिया। इसके लिए 2 सदस्यीय कमिटी बनाई जाएगी जो ऑडिट के लिए बोर्ड को अपने प्रपोजल भेजेगी और उसके अनुसार ऑडिट करवाया जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि श्रमिकों को सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसे देखते हुए बोर्ड जल्द ही एक नई वेबसाइट की भी शुरुआत करने वाला है।

पायलट फेज में मिल रहें है अच्छे नतीजे

सिसोदिया ने कहा कि वर्तमान में ये प्रोग्राम 3 निर्माण स्थलों पर 200 निर्माण श्रमिकों के साथ पायलट फेज में चलाया जा रहा है और इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे है। पायलट फेज के अनुभवों के आधार पर इस स्किल प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाते हुए पीडब्लूडी, डीडीए, डीएमआरसी आदि द्वारा चल रहे विभिन्न कंस्ट्रक्शन साइट के माध्यम से 2 लाख निर्माण श्रमिकों की अपस्किलिंग की जाएगी।

एम्स के पास पार्क की जमीन का भू उपयोग बदले जाने का मामला

उच्च न्यायालय ने डीडीए को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एम्स के पास पार्क की जमीन का भू उपयोग बदले जाने के मामले में सोमवार को डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है, जिसमें एम्स के पास अंसारी नगर में पार्क की जमीन के भू उपयोग बदलने के लिए मास्टर प्लान 2021 में प्रस्तावित संशोधन को रद्द करने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने डीडीए के अलावा उपराज्यपाल, पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने सभी पक्षकारों को मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर, 2022 से पहले अपना अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। पीठ ने यह आदेश गैर सरकारी संगठन 'सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, हेरिटेज, एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल अवेयरनेस की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। ब्यूरो

नई दिल्ली। मंगलवार • 2 अगस्त • 2022 राष्ट्रीय सहारा

रामलीला के लिए मुफ्त दी जा रही है जमीन : डीडीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में होने वाली रामलीलाओं एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए जगह बुकिंग करने के नाम पर शुल्क वसूलने के आरोप को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने साफ किया है कि प्राधिकरण निशुल्क जगह उपलब्ध करा रहा है। आयोजकों को साफ-सफाई रखने की हिदायत दी गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के नियमों की अवहेलना होने पर पांच लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। प्राधिकरण प्रवक्ता का कहना है कि रामलीला, दुर्गापूजा समेत अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए प्राधिकरण मुफ्त जगह मुहैया कराता है। डीपीसीसी के आदेश के मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। खासकर भोजन पकाने आदि से होने वाले कूड़े का मौके पर ही निपटान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर एनजीटी के 4 फरवरी, 2021 के आदेश के मुताबिक आयोजकों को भारी जुर्माना भरना होगा। जो शुल्क लिया जा रहा वह 24 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से लिया जा रहा है।